10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

153

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

R - 3781 - PBR/16 Entry 137

पुनरीक्षण क0—

रघुबीर सिंह पुत्र मलखान सिंह आयु— करीब— 85 वर्ष निवासी ग्राम —नईगढ़िया तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म0प्र0। ....पुनरीक्षणकर्ता /आवेदक

....विरुद्ध..

1—अशोक कुमार पुत्र राजा रायबहादुर आयु—36 वर्ष

2—अश्वनी कुमार पुत्र राजा रायबहादुर आयु—26 वर्ष

3—राजनारायण पुत्र राजा रायबहादुर आयु—23 वर्ष समस्त निवासी ग्राम— नईगढ़िया तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म0प्र0।.......................प्रत्यर्थीदातागण / अनावेदकगण

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0रा0सं0

मा0 महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैः—

/ / पुनरीक्षण अधीन आदेश / /

यह कि अनावेदकगण द्वारा एक अपील प्रकरण कमांक— 51 / अपील / अ—27 / 2014—15 अनुविभागीय अधिकारी बेगमगंज के समक्ष दिनांक— 28-9-2016 के नामांतरण पंजी कमांक—4 दि 09-9-1994 प0ह0न0—31 नई गढ़िया तहसील बेगमगंज में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। जिसमें समयावधि के महत्वपूर्ण बिन्दू को सही ढंग से निराकृत ना करने के आदेश दिनांक— 28-9-2016 के विरूद्ध न्याय दान हेतु यह पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

/ / पुनरीक्षण के आधार / / राजेन्द्र कुमार जैन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3781-पीबीआर/16 जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-2-2019	आवेदक की ओर से श्री जगदीश जैन, अभिभाषक उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 29-5-2019 को सुनवाई हेतु कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अनावेदक पक्ष सूचित हों । अध्यक्ष	